तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज **मुन्तकिली / टीए / 12322 / 2025 / जयपुर** **रवि जूनवाल मीना बनाम विनीता सिंह ए0डी0एम0 प्रथम, जयपुर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित–

श्री दीनदयाल स्वामी, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री ईश्वर तिवाड़ी, अधिवक्ता अप्रार्थी

दिनांक : 30–12–2025

आदेश

यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 233 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रथम जयपुर के विरूद्ध प्रस्तुत कर उनके समक्ष विचाराधीन अपील संख्या 131 / 2025 बउनवानी जगदीश प्रसाद बनाम रवि जूनवाल को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का निवेदन किया गया है।

अभिभाषकगण उभयपक्ष की मुंतकिल प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रथम जयपुर के समक्ष एक अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बस्सी के प्रस्तुत की जो विचाराधीन होकर आगामी पेशी दिनांक 07–01–2026 नियत की गई।

दौराने कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी को स्पष्ट कहा कि उक्त प्रकरण का निस्तारण पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके पक्ष में ही किया जाएगा। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा इस प्रकार कहे गए कथनों से प्रार्थी को यह पूर्ण अंदेशा हो गया कि प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष यह मुंतकिली प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है।

उनका तर्क है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 से सांठ गांठ कर अपने राजनैतिक प्रभाव से पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाकर येन–केन प्रकारेण उक्त प्रकरण का निस्तारण शीघ्रातीशीघ्र प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 2 का राजनैतिक प्रभाव होने से उनके द्वारा उक्त प्रकरण के संबंध में पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाव बनाया जा रहा है। उससे प्रार्थी को आभास ही नहीं पूर्ण विश्वास हो गया कि पीठासीन अधिकारी प्रकरण का निर्णय विपक्षीगण / अप्रार्थीगण के पक्ष में ही करेंगे इसलिए प्रार्थी को उनके न्यायालय से निष्पक्ष न्याय की कतई उम्मीद नहीं है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज **मुन्तकिली / टीए / 12322 / 2025 / जयपुर** **रवि जूनवाल मीना बनाम विनीता सिंह ए0डी0एम0 प्रथम, जयपुर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय केवल किया जाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि न्याय किया जाना स्पष्ट प्रतीत होना भी आवश्यक है। लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी को विद्वान पीठासीन अधिकारी जी से निष्पक्ष न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। बल्कि प्रार्थी को यह पूर्ण अहसास हो चुका है कि विद्वान पीठासीन अधिकारी जी प्रकरण का फैसला प्रार्थी के विरूद्ध एवं विपक्षी / अप्रार्थी के पक्ष में ही करेंगे। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर श्रीमती विनीता सिंह ए0डी0एम0, प्रथम जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 131 / 2025 उनवानी जगदीश बनाम रवि जूनवाल को जिले से बाहर अन्यत्र किसी सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

इसके विरूद्ध अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थना–पत्र में लिए गए आधार मनगढ़न्त है। प्रार्थी स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं एवं प्रकरण को देरी ना करने के उद्देश्य से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः भारी कॉस्ट लगाकर मुन्तकिली प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा मंडल में मुंतकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानांतरण हेतु निवेदन किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी हमारे समक्ष ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके, जिससे यह माना जा सके कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रकरण में कार्यवाही कर रहे हो। हमारे मत में प्रार्थी द्वारा प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक देरी करने के उद्धेश्य से काल्पनिक तथ्यों पर आधारित यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सके कि पीठासीन अधिकारी, अप्रार्थीगण को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रकरण में कार्यवाही कर रहे हों। हमारे मत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक देरी करने के उद्देश्य से काल्पनिक तथ्यों पर आधारित यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा 1994 RRD 117 में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः–

"Transfer of a case from a competent Court is not a mere formality but it certainly casts a stigma on its Presiding Officer. It is true that the justice should not only be done but it should appear to have been done. Transferring a case without sufficient or adequate reason even on the basis of consent of the parties or convenience of parties is not called for or cannot be done. There must be a reasonable apprehension in the mind of a litigant seeking transfer of a case from the Court of a particular Presiding Officer. Mere making any observation by the Presiding Officer during hearing an appeal and on the basis of such observations, if any of the parties to the appeal feels that the result of the appeal may go against it, it cannot be said that such a party has a reasonable apprehension that it would not get justice in the case, …."

इसी प्रकार 2006–07 (Supp.) RRT 435 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

''फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे न्याय व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है और पीठासीन अधिकारी की विश्वसनीयता में बिना किसी कारण के कमी आती है। बिना ठोस आधारों के मुन्तकिली प्रार्थनापत्र स्वीकार करना न्याय प्रक्रिया के अधीन पक्षकारों को प्राप्त सुविधाओं एवं हकों की आड़ में दुरूपयोग को बढावा नहीं मिलना चाहिये। उच्च अदालतों को यह भी देखना चाहिये कि इस प्रकार के प्रावधानों का abuse of the process of law नहीं हो।''

उक्त न्यायिक दृष्टान्तों का अनुसरण करते हुये हमारा मत है कि न्यायिक प्रक्रिया में विश्वसनीयता होनी चाहिये और अगर किसी पक्षकार द्वारा ठोस कारणों के साथ किसी पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता के बाबत शंका प्रकट की जाती है तो प्रकरण को हस्तान्तरित कर दिया जाना चाहिये किन्तु साथ ही किसी पक्षकार को यह अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिये कि वह आधारहीन एवं काल्पनिक तथ्यों के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया का अनुचित लाभ लेते हुये अधीनस्थ न्यायालय पर अनावश्यक आरोप लगावे अथवा न्याय के मार्ग में रूकावट पैदा करे। अतः पीठासीन अधिकारी के व्यवहार एवं निष्पक्षता के सबंध में बिना किसी ठोस साक्ष्य के मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज **मुन्तकिली / टीए / 12322 / 2025 / जयपुर** **रवि जूनवाल मीना बनाम विनीता सिंह ए0डी0एम0 प्रथम, जयपुर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही पंजीबद्ध कार्यालय की जावे। आदेश सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	